आर.सी.एम.एस. नम्बर 2021/213

(आदेश 20 का नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत बंटवारा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :- 129/2021 (प्रहलाद सिंह बनाम प्रेमलता वगैरह)

निर्णय दिनांक :- 24.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.05.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मण्डावा के आदेश कमांक भू0अ0/2022/281 दिनांक 21.06.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.08.2022 को जारी की गई।

24/8/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 129/2021

प्रहलाद सिंह पुत्र सांवतराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. श्रीमती प्रेमलता देवी पत्नी श्री न्द्रपाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. श्रीमति माहनी देवी पत्नी श्री प्रहलाद सिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 24.05.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम चारणवासी पटवार हल्का लूणा की सरहद में भूमि हाल ख0न0 183 रकबा 1.02 है0 भूमि अवस्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का हिस्सा 1/3 है। जिस पर बतौर बाहमी बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 अपने दर्ज हिस्से एवं कब्जे काश्त के मुताबिक खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। अंत में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी को उसके 1/3 हिस्से का मुताबिक कब्जा काश्त विभाजन किया जाकर खाता अलग करने के आदेश फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबाली जवाब पेश कर मुताबिक कब्जा काश्त नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार विभाजन करने में कोई एतराज/आपत्ति नहीं होना जाहीर किया।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये वाद वादी स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि में वादी के 1/3 हिस्से का मुताबिक कब्जा काश्त वादपत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शितानुसार खाता अलग करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने 1/3 हिस्से का मुताबिक कब्जे काश्त विभाजन कर खाता अलग करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भी अपने इकबाली जवाब में वादी व प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से की भूमि पर मुताबिक कब्जा काश्त विभाजन चाहा गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम चारणवासी पटवार हल्का लूणा की सरहद में भूमि हाल ख0 न0 183 रकबा 1.02 है0 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं नजरी नक्शे में दर्शितानुसार मुताबिक कब्जा काश्त खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 1000/– रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/5/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर